

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 679/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर इण्डिया लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय :
19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मोदूराम जाट पुत्र श्री बोदूराम जाट,
पता :- 27, जसवन्तपुरा, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
2. श्री गोपाल पलसानिया पुत्र श्री मोदूराम पलसानिया,
पता :- वार्ड नम्बर 9, जसवन्तपुरा, जयपुर।
3. श्रीमती सहरिता देवी पत्नी श्री गोपाल,
पता :- 27, मुख्य आबादी, जसवन्तपुरा, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
4. श्री पवन कुमार मान पुत्र श्री सूरजमल,
पता :- 16, मानावाली ढाणी, मुरलीपुरा, तहसील शाहपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री सुरेन्द्र सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक: 03.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11-02-2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री गोपाल पलसानिया के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 03, ग्राम जसवन्तपुरा, पोस्ट बाडी जोडी, शाहपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

400
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अंतर्लोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीनामों को 5,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीनाम ने उपरोक्त दार्जित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीनाम का ऋण खाता एन सी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण दसुली के लिए बकाया ऋण राशि मध्य ब्याज कुल 1,76,917/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीनाम को दिनांक 17.05.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीनाम द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीनाम द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का मुआवजा भी नहीं किया गया है। प्रकरण में दसुली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समर्थ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री गोपाल पलसानिया के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 03, ग्राम जसवंतपुर, पोस्ट बाड़ी जोड़ी, राहपुर, जयपुर क्षेत्रफल 266.66 वर्गगाज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं मालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कन होकर प्रेषित दपतर हो।
- आज दिनांक 03.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रकारा राजपुरोहित
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर